बिहार सरकार
परिवहन विभाग

"अधिसूचना"

संख्या–स0 सु0 (लीड एजेन्सी) विविध–5–69/2019.....01........../पटना, दिनांक–.01.....01.2020

बिहार मोटर गाड़ी नियमावली, 1992 के नियम 215 के उपनियम 5 (क) के आलोक में दुर्घटना के मामलों का अन्वेषण करने के लिए राज्य सरकार एतद् द्वारा मोटरयान दुर्घटनाओं के कारणों की बाबत गहन अध्ययन और विश्लेषण हेतु स्कीम बनाती है।

स्कीम प्रारूप

1. **संक्षिप्त नाम, आरम्भ एवं विस्तारः–**

(i) यह स्कीम **"मोटरयान दुर्घटनाओं के कारणों की बाबत गहन अध्ययन और विश्लेषण स्कीम, 2020"** कही जायेगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

2. **उद्देश्यः–**

इस स्कीम का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं की वैज्ञानिक तरीके से जाँच पड़ताल कर राज्य में सड़क दुर्घटनाओं एवं उक्त के फलस्वरूप होने वाली मृत्यु एवं घायलों के आँकड़ों में प्रतिवर्ष न्यूनतम 10% की कमी लाना है।

3. **जाँच दल का गठनः**–इसके तहत् जाँच दल का गठन निम्नवत् किया जाता हैः–

जिला सड़क दुर्घटना जाँच दल

(i) पथ निर्माण विभाग द्वारा नामित पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता से अन्यून कोटि के पदाधिकारी) ——————सदस्य,

(ii) संबंधित जिला के जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक–सदस्य,

(iii) संबंधित अंचल के पुलिस निरीक्षक ——————सदस्य,

(iv) सड़क दुर्घटना से संबंधित थाना के थाना अध्यक्ष ——————सदस्य।

4. **जिला सड़क दुर्घटना जाँच दल** जिला में घटित वैसी सड़क दुर्घटनाए, जिनमें तीन या उससे अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हुई हो अथवा वे गंभीर रूप से घायल हुए हों, का त्वरित स्थल निरीक्षण कर दुर्घटना के कारणों का गहराई से विस्तृत अध्ययन एवं वैज्ञानिक विश्लेषण करेगा तथा संबंधित ऐसे सभी कारणों, जैसे पथ

निर्माण में हुई किसी कमी के कारण, मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का अनुपालन नहीं करने के कारण अथवा अन्य संबंधित कारक, जिससे सड़क दुर्घटना हुई हो, ऐसे कारणों को पता करेगी तथा ऐसी सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उपायों पर अपना सुझाव देगा।

5. जाँच दल दुर्घटना घटित होने की जानकारी प्राप्त होने पर यथाशीघ्र सड़क दुर्घटनाओं की स्वतः जाँच करेगा।

6. जाँच दल दुर्घटनावार जाँच प्रतिवेदन अपनी अनुशंसा के साथ दुर्घटना की जाँच से एक सप्ताह के अंदर अपने जिला कलेक्टर–सह–अध्यक्ष, जिला सड़क सुरक्षा समिति को समर्पित करेगा।

7. जाँच दल द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन जिला परिवहन पदाधिकारी–सह–सदस्य सचिव द्वारा जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। तदुपरान्त जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों के आलोक में संबंधित विभाग द्वारा कार्य योजना तैयार कर जाँच दल की अनुशंसाओं को क्रियान्वित कराया जायेगा।

8. जाँच प्रतिवेदन, जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा लिए गए निर्णयों एवं कार्य–योजना प्रतिवेदन जिला परिवहन पदाधिकारी–सह–सदस्य सचिव, जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा प्रधान सचिव/सचिव, परिवहन विभाग–सह–सदस्य सचिव, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना को समर्पित किया जाएगा।

9. सड़क दुर्घटना जाँच दल के गठन हेतु कार्यकारी आदेश संबंधित जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा निर्गत किया जायगा। सड़क दुर्घटना जाँच दल के सदस्यों के स्थानान्तरण/सेवानिवृति आदि के मामलों में जिला सड़क दुर्घटना जाँच दल का पुर्नगठन यथाशीघ्र किया जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(signature) 31/12

(संजय कुमार अग्रवाल),

सरकार के सचिव

ज्ञापांक– स0 सु0 (लीड एजेन्सी) विविध–5–69/2019...01.........../पटना, दिनांक–01..01. 2020

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग बिहार/पुलिस महानिदेशक, बिहार/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध है कि इस संबंध में अपने स्तर से भी संबंधितों को आवश्यक निदेश देने की कृपा करेंगे।

(signature) 31/12

सरकार के सचिव

ज्ञापांक– स0 सु0 (लीड एजेन्सी) विविध–5–69/2019.....01........./पटना, दिनांक–01.01.2020

प्रतिलिपि–विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग/प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग/प्रधान सचिव, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग/महानिदेशक–सह–महा समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी–सह–अग्नि शमन सेवाएँ, बिहार/अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/सचिव, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/क्षेत्रीय पदाधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिहार, पटना/कार्यपालक पदाधिकारी, लीड एजेन्सी, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

31/12

सरकार के सचिव

ज्ञापांक– स0 सु0 (लीड एजेन्सी) विविध–5–69/2019.....01........./पटना, दिनांक–01.01.2020

प्रतिलिपि–सभी जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला सड़क सुरक्षा समिति/सभी वरीय/पुलिस अधीक्षक–सह–सदस्य, जिला सड़क सुरक्षा समिति/सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी–सह–सदस्य सचिव, जिला सड़क सुरक्षा समिति/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/12

सरकार के सचिव

ज्ञापांक– स0 सु0 (लीड एजेन्सी) विविध–5–69/2019.....01........./पटना, दिनांक–01.01.2020

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार के आप्त सचिव/सचिव, परिवहन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव/अपर सचिव/उप सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/12

सरकार के सचिव

ज्ञापांक– स0 सु0 (लीड एजेन्सी) विविध–5–69/2019.....01........./पटना, दिनांक–01.01.2020

प्रतिलिपि–आई0 टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/12

सरकार के सचिव